

समाहरणालय नवादा  
जिला भू-अर्जन कार्यालय, नवादा।

अधिसूचना

भू-अर्जन

दिनांक- २५-०५-१३

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- महरथ, थाना बारिसलीगंज, थाना नं०-514 परगना- जिला- नवादा के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राज्य उच्च पथ संख्या-83 (बागी-बरबीघा) के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम महरथ, थाना नं०- 514 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.02031 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका खेसरा सं० निम्नांकित है:- 1258, 1256, 1253, 2116, 2214, 2216 अंश खेसरा  
रकवा:- 0.02031 एकड़,

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर:- 1269, 1257, 1256, 2121, 2119, 2117, 2216, 2216 & 2268

दक्षिण:- 1259, 1256, 1252, 2116, 2117, 2412, 2213, 2214 & 2215

पूरब:- 1260, 1255, 1254, 2115, 2121, 2115, 2208, 2219 & 2267

पश्चिम:- Road, Road, Road, Road, Road, Road, Road, Road, Road,

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1 of 1894 की धारा 4 के उपबन्धों यथा संशोधित अधिनियम 1961 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर समाहर्ता नवादा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा और उसके कर्मचारियों तथा इन परियोजनाओं के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भूमि पर जाने एवं उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 (क) की उपधारा (2) में यथा उपबधित या बिनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति तामिल होने के 30 दिनों के भीतर (साधारण प्रक्रिया में धारा 5 (A) एवं आपात प्रक्रिया में धारा 9 के अन्तर्गत हित सम्बद्ध रैयतो द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन समाहर्ता नवादा। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी नवादा के कार्यालय में दाखिल की गयी भू-अर्जन संबंधी आपतियों की सुनवाई किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
नवादा।

अपर समाहर्ता  
नवादा

समाहर्ता  
नवादा

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक संख्या-15/डी0 एल0 ए0-नवादा (रा0उ0प0) - 02/2013 - 1147/रं.

दि० - 25-04-13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, नवादा को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

642  
24/4/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।